

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ.7(1)(1)पंचा / रानिआ / 2024 / 1161

दिनांक : 30.01.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), (पंचायत) राजस्थान।

विषय :- पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में जहाँ ईवीएम का उपयोग किया जायेगा, मतदान बूथ पर पीठासीन अधिकारियों द्वारा मॉकपॉल प्रमाण-पत्र जारी किये जाने बाबत।

महोदय,

पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में जहाँ ईवीएम के माध्यम से मतदान कराया जाना है, वहाँ मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान अभिकर्ताओं/मतदान दल के सदस्यों की उपस्थिति में ईवीएम से मॉकपॉल आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा। मॉकपॉल की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नानुसार प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-19) में तैयार कर निर्गत किया जायेगा:-

1. मॉकपॉल में भाग लेने वाले मतदान अभिकर्ता/मतदान दल के सदस्य का नाम प्रमाण-पत्र में अंकित जायेगा।
2. मॉकपॉल में भाग लेने वाले मतदान अभिकर्ता/मतदान दल के सदस्य की मतदाता पर्ची जारी की जायेगी।
3. जिला परिषद सदस्य/सरपंच पद के अभ्यर्थी की वह क्रम संख्या अंकित की जायेगी, जिसे मॉकपॉल में मत दिया गया हो।
4. पंचायत समिति सदस्य/पंच पद के अभ्यर्थी की वह क्रम संख्या अंकित की जायेगी, जिसे मॉकपॉल में मत दिया गया हो।
5. मॉकपॉल प्रमाण-पत्र पर मॉकपॉल में भाग लेने वाले मतदान अभिकर्ता/मतदान दल के सदस्य के हस्ताक्षर लिये जायेंगे।
6. उक्त प्रक्रिया मॉकपॉल में भाग लेने वाले अन्य मतदान अभिकर्ता/मतदान दल के सदस्यों के लिये भी दोहराई जायेगी।
7. प्रत्येक अभ्यर्थी को न्यूनतम एक मत देकर मॉकपॉल प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।
8. ईवीएम मशीन से मॉकपॉल पूर्ण होने के पश्चात् Result बटन दबाकर प्राप्त परिणाम एवं मैनुअल तैयार किये गये मॉकपॉल प्रमाण-पत्र के परिणाम का मिलान कर लें एवं यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त दोनों परिणामों में कोई भिन्नता तो नहीं है। मॉकपॉल पूर्ण होने के पश्चात् ईवीएम में रिकॉर्ड किये गये मतों को Clear (डिलीट) कर दें।

नोट:- यदि परिणामों में किसी प्रकार की कोई भिन्नता है तो तुरन्त रिटर्निंग अधिकारी को सूचित किया जायेगा एवं उनके निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

9. पीठासीन अधिकारी द्वारा उपर्युक्त तैयार किये गये मॉकपॉल के प्रमाण-पत्र को हस्ताक्षरित किया जायेगा।

नोट:- जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं वार्ड पंच के चुनावों के लिये तैयार किये गये मॉक पॉल प्रमाण पत्र को पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं के साथ संलग्न कर जिला परिषद सदस्य के लिये लिफाफा (PE-56), पंचायत समिति सदस्य के लिये लिफाफा (PE-55), सरपंच पद के लिये लिफाफा (PE-56A) एवं वार्ड पंच के लिये लिफाफा (PE-55A) में रखा जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- मॉकपॉल प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-19)

भवदीय,

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/1162-1167
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक: 30.01.2024

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर)।
6. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ईमेल करने, आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

(अम्बा लाल मीणा)
उपसचिव

(परिशिष्ट-19)

मॉकपॉल प्रमाण-पत्र

जिला परिषद् सदस्य/पंचायत समिति सदस्य अथवा सरपंच/पंच चुनाव

क्र.सं.	मॉकपॉल में भाग लेने वाले सदस्य का नाम	मॉकपॉल वोटर पर्ची क्रमांक	मतदान किये गये अभ्यर्थी की क्रम संख्या (जिसको वोट दिया है) जिला परिषद् सदस्य/सरपंच के लिए	मतदान किये गये अभ्यर्थी की क्रम संख्या (जिसको वोट दिया है) पंचायत समिति सदस्य/पंच के लिए	हस्ताक्षर
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम एक वोट देकर मॉकपॉल की प्रक्रिया पूर्ण की जाये। उपरोक्त सदस्यों की उपस्थिति में मॉकपॉल के अनुसार मॉकपॉल परिणाम में प्राप्त मतों की संख्या तथा कन्ट्रोल यूनिट से Result बटन दबाने से प्राप्त मतों की संख्या का मिलान कर प्रदर्शित कर दिया गया है। जिसमें कोई भिन्नता नहीं है।

मॉकपॉल के पश्चात् ई.वी.एम. में रिकॉर्ड किये गये मतों को Clear (डिलीट) कर दिया गया है।

(पीठासीन अधिकारी)

हस्ताक्षर

नोट:- जिला परिषद् सदस्य/सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनावों के लिए अलग-अलग मॉकपॉल प्रमाण-पत्र प्रारूप (परिशिष्ट-19) को तैयार कर पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं (परिशिष्ट-7) के साथ संलग्न कर जिला परिषद् सदस्य के लिए लिफाफा नं. (PE-56) में तथा पंचायत समिति सदस्य के लिए लिफाफा नं. (PE-55) में तथा इसी प्रकार सरपंच का लिफाफा (PE-56A) एवं पंच का लिफाफा (PE-55A) में रखा जाना सुनिश्चित करें।